बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित, पटना
(बिस्कोमान)
आदेश

चूँकि बिस्कोमान के प्रबंधन को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री शशिकान्त प्रसाद, सहायक भंडार प्रबंधक(नि॰) तत्कालीन प्रभारी क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिस्कोमान, मुजफ्फरपुर के द्वारा अधिप्राप्ति वर्ष 2010–11 में मुख्यालय आदेशों का उल्लंघन करते हुए वित्तीय अनियमितता की गई। जैसा कि अनुलग्न विवरणी में विनिर्दिष्ट है। इस अभियोगों के आधार पर हीं उन्हें मुख्यालय आदेश ज्ञापांक– स्था॰/47/बी/69 दिनांक 16.04.2013 द्वारा निलंबित किया गया।

2. चूँकि श्री प्रसाद से इसके द्वारा अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव का लिखित ब्यान अधिक से अधिक 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर अवश्य उपस्थापित करे तथा साथ हीं–

(क) यह भी बतावें कि क्या वे साक्षात सुनवाई कराना चाहते हैं।

(ख) उन साक्ष्यों का यदि कोई हो नाम एवं पता दें, जिन्हें वे अपने बचाव के पक्ष में बुलाना चाहते हैं।

(ग) ऐसे अभिलेखों की प्रति/सूची प्रस्तुत करें जिन्हें वे अपने बचाव के पक्ष में पेश करना चाहते हों।

3. उन्हें निदेश दिया जाता है कि विहित अवधि के अन्दर लगाये गये आरोपों के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण श्री मुरलीधर सिंह, प्रभारी पदाधिकारी(क्षति) बिस्कोमान, पटना को समर्पित करें जिन्हें इस मामलें में संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री प्रसाद को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उनका लिखित प्रतिवाद पत्र उपर विर्निदिष्ट तिथि को या इसके पहले प्राप्त नहीं होगा तो जॉच एक पक्षीय कर ली जाएगी।

5. आरोपों से संबंधित कागजातों को वे अगर देखना चाहें तो किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में आकर स्वयं देख सकते हैं।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः–स्था०-स०अ०प्र०-47-स्म-2616 दिनांकः–27–11-2013

प्रतिलिपिः–

1. श्री शशिकान्त प्रसाद, सहायक भंडार प्रबंधक(नि॰), वरीय क्षेत्रीय कार्यालय, बिस्कोमान, मुजफ्फरपुर को आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
2. श्री मुरलीधर सिंह, प्रभारी पदाधिकारी(क्षति), बिस्कोमान, पटना को आरोप–पत्र की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि वे अपनी जॉच 30(तीस) दिनों के अन्दर समाप्त कर संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आदेशार्थ उपस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

D:\Rahul singh\Order\ Charge Report-Shashikant Pd-26-11-13.docx